

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 619]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 नवम्बर 2010—अग्रहायण 9, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. बी-4-04-2010-2-पांच, (क्र. 27).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निदेश देती है कि सरकार द्वारा या किसी अर्द्ध सरकारी संगठन या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित नजूल भूमि के पट्टाधृति अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में संपरिवर्तित करने से संबंधित हस्तांतरण की लिखत पर, रजिस्ट्रीकरण शुल्क, कम करते हुए केवल लिखत में यथा उपवर्णित संपरिवर्तन के लिए दिए गए प्रतिफल की रकम पर ही प्रभार्य होगा, किन्तु प्रभार्य शुल्क की रकम किसी भी दशा में एक सौ रुपये से कम नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. बी-4-04-2010-2-पांच (क्र. 27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-04-2010-2-पांच (क्र. 27), दिनांक 30 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th November, 2010

No. F-B-4-04-2010-2-V(No. 27).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State government, hereby, directs that the registration fees on the instrument of conveyance relating to conversion of lease hold rights into free hold rights of nazul land executed by or on behalf of the Government or a Semi-Government organisation or any Government Undertaking shall be chargeable in

reduction to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in no case the amount of fees chargeable shall be less than One hundreded rupees.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. बी-4-04-2010-2-पांच, (क्र. 27).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि सरकार द्वारा या किसी अर्द्ध सरकारी संगठन या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित नजूल भूमि के पट्टाधृति अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में संपरिवर्तित करने से संबंधित हस्तांतरण की लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 22 के अधीन स्टाम्प शुल्क कम करते हुये केवल लिखत में यथा उपवर्णित संपरिवर्तन के लिए दिए गए प्रतिफल की रकम पर ही, प्रभार्य होगा, किन्तु प्रभार्य शुल्क की रकम किसी भी दशा में एक सौ रुपये से कम नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. बी-4-04-2010-2-पांच (क्र. 27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-04-2010-2-पांच (क्र. 27), दिनांक 30 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th November, 2010

No. F-B-4-04-2010-2-V(No. 27).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, directs that the stamp duty under article 22 of Schedule 1-A of the said Act on the instrument of conveyance relating to conversion of lease hold rights into freehold rights of nazul land executed by or on behalf of the Government or a Semi-Government organisation or any Government Undertaking shall be chargeable in reduction to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in no case the amount of duty chargeable shall be less than One hundred rupees.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.